ऑन लाईन नं.GCMS2025/125

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 37/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक: 07.11.2025**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.06.2024 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2024/1211 दिनांक 08.07.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2025 को समय 07.30 एएम बजे **मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान में रखे एक कैन में रखे खाद्य पदार्थ गाय का दूध, **जो लगभग 20 लीटर** के बारे में जानकारी चाही, इस पर **विक्रेता** ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में रखे लगभग 20 लीटर खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** को आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध 20 लीटर गाय का दूध में से 2 लीटर विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 100/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध 02** लीटर को बराबर भागों टकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदें डालकर कसकर क्कन बंद किये और 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–2760** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2760** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./453/Act/2025/453 Dated 01.05.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2760 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–1 तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–2 के तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 21.04. 2025 को अप्रार्थी के संस्थान से दूध का सैम्पल लिया जाना स्वीकार है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सैम्पल नियमानुसार नहीं लिया गया जिस कारण से अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ... गंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–4 के तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि र्थी के संस्थान से 2 लीटर दूध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्रय किया जाना एवं उसका 0/– रूपये नगद भुगतान किया जाना स्वीकार है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे एवं जिन जिन कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे उन पर कोई भी कार्यवाही पूर्व में नहीं की गई थी।

5. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–5 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी के संस्थान से केवल मात्र दूध का सैम्पल लिया गया था। उसके सामने किसी प्रकार का ना तो कोई फार्म भरा गया व ना ही अप्रार्थी के सामने किसी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि अप्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार व एक दो गवाहान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी राकेश कुमार व गवाहान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दबाव में आकर किये गये थे। मौका पर जो भी कार्यवाही की गई वह अप्रार्थी को ना तो पढ़कर सुनाई गई है व ना ही समझायी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका पर क्या कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी/अभियुक्त को अवगत नहीं करवाया गया।

6. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–6 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो दूध का नमूना लिया गया उसकी कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई अर्थात नमूना लेते समय/भरते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सही नहीं थी। जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो ऐसी स्थिति में सैम्पल का अमानक आना स्वभावी है।

7. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–7 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है।

8. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–8 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। इस चरण का उत्तर विस्तृत रूप से उपर के चरणों में दिया जा चुका है।

9. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 9 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त के संस्थान से जो दूध का नमूना प्राप्त किया गया अगर वह सब स्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया तो उसकी सूचना परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी/अभियुक्त को नहीं दी गई जिस कारण अप्रार्थी/अभियुक्त के अधिकारों का हनन हुआ है। यदि विभाग/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सैम्पल का एक भाग अप्रार्थी को दिया होता या उक्त सैम्पल अमानक होने की जानकारी अप्रार्थी को दी होती तो अप्रार्थी अवश्य ही इसकी जांच अपने स्तर पर सक्षम प्रयोगशाला से करवा लेता। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट एवं अग्रेषित पत्र की कोई प्रति अप्रार्थी को नहीं दी गई।

10. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–10 के तथ्य कानूनी है, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

11. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–11 के तथ्य कानूनी है, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

12. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 12 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्राची/अभियुक्त किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है व ना ही अप्रार्थी द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (11) का उल्लंघन किया है। जब अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

...कसी धारा का उल्लंघन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी जुर्माना राशि अदा ... के लिये उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है।

<u>अतिरिक्त कथन</u>

1. यह कि अधिनियम व नियमावली के प्रावधान स्वयं में पूर्ण संहिता है एवं उनकी पालना आज्ञापक प्रावधान है। यदि पालना में कोई त्रुटि खाद्य सुरखा अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस स्थिति में विश्लेषक की रिपोर्ट अमान्य हो जाती है।

2. यह कि अपने उपरोक्त कथनों को प्रभावित किये बिना ही प्रार्थी का निवेदन है कि मिल्कफेड में निर्धारित मानकता के विपरीत जो मानकता विश्लेषक के द्वारा दर्शायी जाती है वह अति सूक्ष्म दृष्टि की है जबकि अन्य मानक समस्त निर्धारित सीमा के अन्दर अथवा अधिक हैं।

3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम व नियमावली की कोई पालना नहीं की गई क्योंकि सैम्पल लेने से पूर्व जिस पॉट/पात्र से दूध का सैम्पल लिया गया, सैम्पल से पूर्व उसको री–प्रजेन्टेटिव रूप नहीं दिया गया और ना ही री–प्रजेन्टेटिव करके सैम्पल लिये जाने का कोई उल्लेख परिवाद पत्र में दिया। ऐसी स्थिति में यदि उसी पात्र से सैम्पल लिया गया हो तो उसकी मानकता प्रभावित हो जाती है। यहां इस बात से भी स्पष्टता जाहिर होती है कि मिल्क सोलिड नोट फेड की निर्धारित न्यूनतम मानकता के विपरीत विश्लेषक के द्वारा काफी ज्यादा मात्रा दर्शायी गई है जिससे पुष्टि होती है कि गांय के दूध में कोई मिलावट नहीं थी।

4 यह कि उपरोक्त प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो अप्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की गई व ना ही इसकी सूचना अप्रार्थी/अभियुक्त को दी गई। इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन परिवाद में अंकित नहीं किये गये हैं। यदि अप्रार्थी/अभियुक्त को नमूना सब स्टेण्डर्ड होने की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाती तो अप्रार्थी/अभियुक्त उक्त सैम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला से आवश्यक रूप से विश्लेषण करवाता, इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन होने के कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2012 (4) सीजे (क्रिमिनल) राज० 1916 चिरंजीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में अभियुक्त को नमूने का पुनः परीक्षण करवाये जाने के अधिकार के सम्बन्ध में उक्त निर्णय पारित किया है।

अतः जवाब पेश करके निवेदन है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-2760** जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./453/Act/2025/453 Dated 01.05.2025 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो अप्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की गई व ना ही इसकी सूचना अप्रार्थी/अभियुक्त को दी गई। इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन परिवाद में अंकित नहीं किये गये हैं। यदि अप्रार्थी/अभियुक्त को नमूना सब स्टेण्डर्ड होने की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाती तो अप्रार्थी/अभियुक्त उक्त सैम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला से आवश्यक रूप से विश्लेषण करवाता, इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन होने के कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा निवेदन है कि प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and L. No. K-2760, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform the standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉंच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 **(अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)